शोध पत्र–उत्तर प्रदेश में शहरी गरीब वर्ग 1991–2012

ANJUL KUMAR

Research Scholar,JRF

University of Allahabad, Medieval and Modern History Department

प्रस्तावना– शोध पत्र के मुख्य विषय पर चर्चा करने से पूर्व यहाँ कुछ मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट कर देना आवश्यक है।

1. शहरी गरीब वर्ग को केन्द्र में रखकर प्राय अर्थशास्त्री तथा समाज शास्त्री शैधान्तिक दृष्टि से शोध कार्य किया गया है। किन्तु प्रस्तुत शोध पत्र सामाजिक इतिहास की शैधान्तिक दृष्टि को सामने रखकर विषय का समकालीन ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करता है।

2. भारतीय राजनीति में लोक लुभावनवादी राजनीति के प्रवेश में जनता को उदारीकरण के वास्तविक लाभों से वनचित रखा है। उदाहरण के लिए 1994 के आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडू के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने उदारीकरण नीति के तहत किये गये कार्यो पर वोट न मांग कर चावल के मूल्य को कम करने पर वोट मांगा ''कांग्रेस घोषणा पत्र 1994'' इस पूरी प्रक्रिया के तहत जनता के मध्य उदारीकरण का वास्तविक प्रचार प्रसार नहीं हुआ प्रस्तुत शोध पत्र में इस सम्बन्ध में व्यापक प्रकाश डाला गया है।

3. भारत सरकार ने गरीब की पहचान करने तथा गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु क्रमशः अर्जुन सेन समिति लक्ता वाला समिति तेन्दुलकर समिति तथा सी रंगराजन समिति का गठन किया है इन समिति ने समय–समय पर उपरोक्त विषय पर अपनी शिफारी से प्रस्तुत की है किन्तु अभी भी गरीब की पहचान तथा गरीबी की अवधारणा के सम्बन्ध में कोई निश्चित पैमाना विकसित नहीं किया जा सका है। इसका कारण सम्भवत भारत में गरीबी समस्या की बहु पक्षीयता रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में इनमें से कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार किया गया है।

4. भारत में ग्रामीण निर्धनता वाद विवाद व एजेन्डा के मुख्य विषय रहे है तथा शहरी निर्धनता इससे अछूती रही है इस तथ्य को ध्यान में रखकर शोध पत्र में शहरी निर्धनता पर प्रकाश डाला गया है।

5. शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के शहरी गरीब वर्ग पर विचार करने का एक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का शहरी गरीब वर्ग प्रायः शोध के दायरों से वंचित रहा है तथा दूसरे

वैश्वीकरण की व्यापक प्रक्रिया ने भारत के औधोगिक नगरों को प्रभावित करने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहे नये शहरी क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है।

6. हैराल्ड गोल्ड ने 1965 में अपनी एक शोध में लखनऊ के रिक्शे वालों का अध्ययन कर यह बताया कि शहरी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे लोगो ने जाति व्यवस्था विशेष महत्व नहीं रखती शोध पत्र में उपरोक्त शैधान्तिक मान्यता को आधार मानकर शहरी गरीब वर्ग के मध्य जाति के प्रश्न पर विचार किया गया है।

विषय–उत्तर–प्रदेश में शहरी गरीब वर्ग 1991 से 2012

परिचय–

शहरी गरीब वर्ग के सम्बन्ध में चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट किया जाए। प्रायः अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों का यह विचार है कि निश्चित कैलोरी ऊर्जा से वंचित तथा निश्चित आय से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब है।

अम्बेडकर इसे उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण की उपज तथा लोहिया इसे जातिगत तथा आर्थिक असमानता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो अमर्त्य कुमार सेन ने गरीबी हेतु राज्य को उत्तरदायी मानते हुए लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा इसका हल खोजते प्रतीत होते हैं। किन्तु अधिक स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गरीबी सामाजिक न्याय की वंचना की उपज है। जिसने परिवर्तन के साथ युगानुकूलन सातत्य तथा निरंतरता को बनाये रखा है। भारत में आर्थिक आयाम के विकास के दो चरण है। पहले चरण में राज्य ने लोकोपकारी लक्ष्यों के साथ जनता का विकास करने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नारा दिया। नतीजे के तौर पर औद्योगिकरण और हरित कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन दूसरे चरण में पहले दौर की भूलों को सुधारने के बहाने भारतीय नेतृत्व में भिन्न तरह का अर्थशास्त्र अपनाया और विश्व पूँजीवाद की ताकतों के सामने समर्पण कर दिया। यह जनता और विकास प्रक्रिया में सीमित सहभागिता वाला माडल था तथा इसे एल0पी0जी0 ''उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण का नाम दिया गया।

जगदीश भगवती जैसे अर्थशास्त्री इसे एक परिवर्तन के बिन्दु के रूप में देखते हैं तथा इसकी प्रगति को दर्शाने के लिए गुजरात माडल को आदर्श बताते हैं। किन्तु भगवती के आलोचक एल0पी0जी0 के प्रोग्राम को क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न करने वाले एक कारक के रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश इसी क्षेत्रीय असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ शहरी–गरीबी एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित है।

शोध पत्र में शामिल किये गये प्रमुख बिन्दू :–

संगठित क्षेत्र के मजदूर –

विकास के बहुआयामी प्रयोग तथा परिवर्तित रणनीतियों ने उत्तर प्रदेश में भी खुलेपन का आरम्भ किया तथा नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे महानगरीय आकार वाले क्षेत्र नये कारखानों तथा कम्पनियों के केन्द्र के रूप में स्थापित हुए। पी0वी0 राजीव तथा नलिनी तनेजा जैसे विचारकों का यह दावा है कि इन विकासशील उत्पादन केन्द्रों ने रोजगार में वृद्धि की है।

1981 से 91 के बीच रोजगार में 0.53: की वृद्धि हुई और 1990–91 से 1997 में रोजगार वृद्धि दर 0.4: रही। उ0प्र0 में 1981–1991–1998 तक कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की दर 9.23, 6.03, 3.29, 9.70, 4.44, 4.45, 7.76, 3.94, 3.72, ò।ष्ष

अतः स्पष्ट है कि इन उद्योगों में रोजगार की दर के उतार एवं चढ़ाव के लक्षण देखे गए।

पेय पदार्थ तम्बाकू उद्योगों ने रोजगार में वृद्धि दर्ज की जबकि सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट दर्ज की गई। ऊनी वस्त्र उद्योग में गिरावट तथा कागज में वृद्धि देखी गई। उत्तर–प्रदेश संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का यह प्रतिशत शहरी गरीब वर्ग की आशा के प्रतिकूल था।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक –

शहरी गरीब वर्ग का एक बड़ा भाग अनौपचारिक क्षेत्र में अपनी श्रम शक्ति नियोजित करता है। इस वर्ग को सुरक्षा देने हेतु नरसिन्हाराव सरकार 21 जुलाई 1991 को संसद के सम्मुख नयी औद्योगिक नीति प्रस्तुत की जिससे उद्योगों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यह भूमण्डलीकरण के बाद संरचनात्मक नीतियों के साथ सुसंगत था।

यद्यपि इस नीति ने रोजगार में वृद्धि की किन्तु जमीनी स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रमशक्ति के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। एल0पी0जी0 सुधारों के 10 बरस बाद भी यह सुनिश्चित श्रमिक वर्ग बड़ी मात्रा में उपस्थित रहा। इलाहाबाद में 39857, गोरखपुर में 14634, रोजगार गारन्टी के अतिरिक्त कम मजदूरी तथा कारखाना अनिधियम से असम्बंधता, इस वर्ग की एक अन्य बड़ी समस्याए। अधिकतर नगरीय निर्धन उ0प्र0 में अनौपचारिक क्षेत्र में अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इन लोगों में प्रायः औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने हेतु शैक्षणिक योग्यता का अभाव होता है।

स्थायी संरक्षित नौकरियों का दायरा सिमटता जा रहा है इसलिए कौशल दक्ष व्यक्ति भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। फलतः शहरी गरीब की समस्याओं में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में शहरी गरीब महिला :–

1951 से 2012 के मध्य उ0प्र0 में महिलाओं हेतु अवसर की समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया तथा प्रसूति सेवाओं तथा शहरी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता देने की बात स्वीकार की गई।

वैश्वीकरण के इस दौर में शहरी गरीब महिलाओं का 70ः से अधिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की कार्य की अपेक्षा कार्य के अवसर की समानता प्राप्त करने का औसत निम्न स्तरीय बना हुआ है। 2006 में इलाहाबाद में महिला कामगारों की संख्या 34119 भी जिनमें से 9124 असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत थी तथा बनारस में यह संख्या इससे कुछ ही कम थी। 2012 आते–आते यद्यपि महिला कामगारों में वृद्धि दर्ज की गई किन्तु उनके प्रति अपराधिक हिंसा, उत्पीड़न में वृद्धि हुई तथा गाजियाबाद, नोएडा तथा कानपुर इस सम्बन्ध में शीर्ष पर रहे। ष्छब्ट्ठष

यद्यपि उ0प्र0 सरकारों एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं को मातृत्व अवकाश कार्य की कम बोझ आदि की व्यवस्था की है। किन्तु कुछ प्रमुख बिन्दु आज भी इन गरीब महिलाओं के विकास के बाधक है :–

1. लिंग असमानता जिसके कारण उत्पादकता तथा कार्यक्षमता में गिरावट तथा संसाधन वितरण में गहनता आयी।
2. दोहरे बोझ की गहनता ने भी महिला प्रगति में बाधा उत्पन्न की, जहाँ एक ओर कामकाजी महिलाओं को बच्चों का गृहस्थी के कार्यों का महिलाकरण बना हुआ है तथा शहरी गरीब महिला की शिक्षा तक भेदभावपूर्ण पहुंच है। 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 में कुलीन महिलाओं एवं शहरी महिला के मध्य शिक्षा का अंतर 75ः से अधिक था। फलतः जहाँ मध्यम तथा उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए रोजगार की व्यापक सम्भावनाएं सामने आयी वहीं दूसरी ओर अति गरीब महिला, दिहाड़ी पर मजदूरी करने हेतु बाध्य है। यही नहीं इन बीस वर्षों के दौरान पुरुषों तथा महिलाओं की मजदूरी की दर में अंतर बना रहा जो प्रतिदिन की औसत से लगभग 30 रू0 था। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि इन बीस वर्षों में उ0प्र0 की शहरी गरीब महिला पर एल0पी0जी0 के मिले जुले प्रभाव सामने आए।

जिनमें नकारात्मकता अधिक थी। पालन पोषण करना होता हैं वहीं दूसरी आर्थिक क्रिया–कलापों में भी उनकी अदूरदर्शिता ने उन्हें अपेक्षित मां के रूप में सामने रखा है।

3. लिंग आधारित रूढ़िगत भूमिका ने महिलाओं की समस्या को और बढ़ाया है। चूंकि इस अवधि में प्रशिक्षण, ऋण, बीज आदि मात्र पुरूषों के लिए ही निश्चित किए गये थे।
4. पारम्परिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका में कमी आयी है। ऐसी अवस्था में महिला का स्तर और गिरा है अपनी अधीनस्त स्थिति के कारण वह प्रतिस्पर्धापरक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाने में असफल रही है।

शहरी गरीब वर्ग तथा भूमि समस्या :–

उ0प्र0 भूमि संशोधन अधिनियम 1978–99–2004 द्वारा भूमि क्रय–विक्रय नियमावली को स्पष्ट किया गया तथा 1991 के बाद 2012 तक के भूमि संशोधन अधिनियमों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रायः सरल बनाने का प्रयास किया या किन्तु प्रायः ये नियमावलियां अस्पष्ट पायी गयी। भूमि अधिनियम 1994 की धारा । में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घर अथवा जमीन पर 12 वर्ष से अधिक कब्जा कर ले तो भूमि उसकी हो जायेगी। दूसरे भू–क्रय–विक्रय की प्रक्रिया में खुलेपन के अभाव के कारण नोएड़ा जैसे क्षेत्रों में ठेकेदार एक घर को तीन–चार लोगों को बेच देता है तथा घर के वास्तविक स्वामी के सम्बन्ध में भ्रम बना रहता है।

ष्ठश्रच सांसद उदितराज तथा पूर्व योजना आयोग सचिव द्वारा राज्यसभा टी0वी0 के लिए एक साक्षात्कार में इस तथ्य को स्वीकारा गया। यद्यपि उ0प्र0 भूमि सुधारों का जनक माना जाता है। किन्तु जैसा कि सी0पी0एम0 महासचिव सीताराम येचुरी का तर्क है कि धार्मिक संस्थाओं के पास आज भी 100–100 एकड़ भू क्षेत्र हस्तगत है। दुर्भाग्य से ऐसा उस समय हो रहा है जब इलाहाबाद के सी0एम0पी0 डाट पुल, लखनऊ के नाका हिंडोला क्षेत्र में आवास के अभाव में शीत ऋतु में मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त होती है।

संविधान का अनु0 46 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य को आदिवासी लोगों की शैक्षिक प्रथा आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ प्रोत्साहित करना चाहिए तथा विशेष विधायन के द्वारा सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करनी चाहिए, किन्तु 2016–17 के मध्य उ0प्र0 सरकार में भूमि अधिनियम में संशोधन कर जिला अधिकारी की अनुमति से इस वर्ग की भूमि अन्य वर्गों को खरीदने की अनुमति देती है।

इससे मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र जैसे आदिवासी बहुत क्षेत्रों में आदिवासी के हाथों से भूमि, छिन जाने का खतरा बढ़ा है।

1991 से 2012 के मध्य राज्य एवं केन्द्र के सम्मिलित प्रयास–

1991 से 2012 के मध्य राज्य एवं केन्द्र सरकारों के मध्य 50–50ः की भागीदारी से शहरी गरीब वर्ग हेतु विभिन्न योजनाए क्रमशः मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री आवास योजना राजीव गांधी शहरी आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना तथा पं0 जवाहर लाल नेहरू, रिज्यूबिनेशन प्रोग्राम आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को आवास एवं रोजगार की व्यवस्था की जा सके। सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से उत्तर प्रदेश के अति शहरी गरीब वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता के व्यापक प्रसार किए गए।

1951 से 2012 के मध्य उ0प्र0 में नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया गया तथा लखनऊ, नोएडा, जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतों को धारण कर नगरीय श्रेष्ठता में स्थान प्राप्त किया।

यद्यपि नगर विकास मंत्रालय उ0प्र0 ने केन्द्र सरकार की मदद से विभिन्न शहरी योजनाओं में सहयोग एवं संचालन किया किन्तु मलिन बस्ती में रह रहे लोगों हेतु आज तक उचित आवास की व्यवस्था नहीं की जा सकी तथा इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, जैसे बड़े शहरों से लेकर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़ गोरखपुर, बलिया, ललितपुर, आदि स्थानों में मलिन बस्तियाँ विद्यमान हैं 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद में मलिन बस्ती जनसंख्या 126646 थी, 2011 की जनगणना तक इसमें मात्र आंशिक कमी ही दर्ज की गई है।

यद्यपि स्वच्छता सम्बन्धी संचालित की गई लेकिन, मलिन बस्तियों में इनका विशेष प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता, इलाहाबाद में प्रयाग स्टेशन के निकट स्थित मलिन बस्ती इसका उदाहरण है। जहाँ वर्षा ऋतु में जल जमाव तथा शुद्ध पेयजल के अभाव की समस्या व्याप्त है।

किन्तु शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का उचित प्रभाव देखने में आया है तथा इलाहाबाद और गोरखपुर में मलिन बस्ती साक्षरता दर क्रमशः 76ः तथा 68.18ः है।

1991 के बाद मलिन बस्तिया :–

1991 के बाद हुई नगरीकरण में वृद्धि के साथ विशालतम नगर चमत्कारिक रूप से बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कस्बे एवं नगर यहाँ के समाज का प्रतिबिम्ब है। इस नगरीकरण के विशेषता यह रही है कि निर्धनों को उनके आवासीय क्षेत्रों से दूर सम्बद्ध क्षेत्रों में शरण लेने हेतु विवश

किया जा रहा है। जिसके कारण के रूप में भू माफिया वर्ग का उदय हुआ यह भू माफिया वर्ग मूलतः उच्च जाति एवं धनिक वर्ग से सम्बद्ध रखता है। मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, लाल कसाई, अतीक अहमद, राजा भैया तथा मुन्ना बजरंगी आदि इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने भूमि पर जबरन अधिकार स्थापित कर शहरी गरीब को भू–क्षेत्रों से वंचित किया है।

यद्यपि सरकारों ने मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम चलाया है। किन्तु जैसा गीता दीवान वर्मा तथा नलिनी तनेजा का तर्क है कि मलिन बस्ती उन्नयन की अपेक्षा मलिन बस्ती उन्मूलन का लक्ष्य होना चाहिए।

1991 के बाद खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम :–

1991 के बाद व्यापक पैमाने पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया तथा उ0प्र0 में शहरी गरीब को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया किन्तु विडम्बना यह रही है कि इस सुविधा का अधिकतर उपभोग मध्य वर्ग ने किया है। सरकारी दुकानों द्वारा अन्न की जा रही कालाबाजारी भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आयी है।

लोक–लुभावन वादी राजनीति तथा शहरी–गरीबः–

1991 से उ0प्र0 की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि दो क्षेत्रीय दलों क्रमशः एस0पी0 तथा बी0एस0पी0 तथापि दो राष्ट्रीय दल क्रमशः बी0एस0पी0 तथा कांग्रेस उभकर सामने आए इन राष्ट्रीय तथापि क्षेत्रीय दलों ने अपने ज्ञान के आधार पर व्यापक चुनावी घोषणाएं की जिनमें गरीबी उन्मूलन का लोक–लुभावन नारा सबसे ऊपर रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि 1991 से 2012 तक नगरीय विकास की तीव्रताा दर्ज की गई किन्तु यह भी सत्य है कि शहरी गरीब वर्ग विकास से पीछे रहने के अतिरिक्त दलों का वोट बैंक बनकर रह गया है।

निष्कर्ष– यहाँ कुछ प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है भूमण्डलीकरण के अन्तर्गत वित्त पूँजी और प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्बाध प्रवाह के लिए भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में रूपान्तरण किया जिसने अनेक परम्परागत उद्योगों को विनिष्ट कर दिया तथा उत्पादक संसाधनों के पुर्ननियोजन की श्रृंखला में राज्यों की भूमिका में कमी आयी और लोक कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार अनुकूलन शासन ने लिया दूसरे उत्तर प्रदेश तथा भारत में ग्रामीण निर्धनता वाद–विवाद व एजेंडे का प्रमुख विषय रहा है नगरीय निर्धनता की उपेक्षा होती रही है दुर्भाग्यवस उ0प्र0 में इस तथ्य को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है कि जब तक नगरीय आर्थिक प्रक्रिया का स्थूल ढांचे के साथ समावेश नहीं किया जायेगा और यदि नगरीय विषयों की अच्छी तरह व्यवस्था नहीं की जायेगी तो बुनियादी सेवाओं जैसे आवास–जलापूर्ति और स्वच्छतापूर्ति में कमियों के बढ़ने की

सम्भावना बनी रहेगी जो नगरीय निर्धनों को उत्तरजीविता की रणनीतियों बनाने और समस्या से निपटने में युक्तीयुक्त रूप से असमर्थ बना देगी।

एक अन्य तथ्य यह है कि एल0पी0जी0 कार्यक्रम लागू होने के पश्चात भूमि संगठित श्रम बाजार की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय विनियमों में लचीलेपन के कारण बड़े नगरों के आस पास कस्बों में उद्योग अवस्थित हुए इसे पतनशील परिधिकरण कहा गया इन प्रदूषणकारी उद्योगों के कारण निर्धनों को आन्तरिक भू–भाग में घटिया जीवन स्तर वाले वातावरण में रहनने हेतु बाध्य होना पड़ा इसी प्रकार महिलाओं के सम्बन्ध में अग्रिम निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु कैरोलिन मोजर की इस उक्ति पर ध्यान देना आवश्यक है कि विकास लोगों विशेषतः महिलाओं की आवश्यकता के अनुसार काफी कम रह जाता है और इसका कारण कम आय वर्ग के घरों के भीतर श्रम का विभाजन तथा घर के ही भीतर शक्ति और संसाधनों के नियंत्रण के प्रति विकास योजनाकारों की रूढ़िवादिता भी है जो महिलाओं को प्रायः आदर्श मां के रूप में चिन्हित करती है।

शहरी गरीब वर्ग के प्रति अभिजनों का दृष्टिकोण ऑस्कर वाइल्ड की इस उक्ति पर आधारित रहा है कि ''प्रत्येक के विचार किसी अन्य के विचार होते है'' जिससे जैसा अर्मत्य सेन ने कहा'' गरीबों को गिने जाने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई'' आवश्यकता इस बात की है जैसा–माओत्से तुंग अपने बुद्धजीवियों को आदेश देते हैं कि उन्हें अर्थात बुद्धजीवियों को गरीबों या जनसामान्य के मध्य जाकर अपने विचार का प्रसार करना चाहिए ताकि उनमें कर्म की विचारधारा के प्रति चेतना लायी जा सके किन्तु भारत में विभिन्न परिस्थितियों के कारण उपरोक्त कृत्य कार्य रूप में परिणत नहीं हो सके तथा उ0प्र0 जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में वर्चस्व तथा अधीनता के संघर्ष ''एन्टोनियों ग्राम्सी'' के स्वर सुने जा सकते है।

हालांकि सरकारी योजनाएँ तथा बुद्धजीवी पूर्णतः विफल भी नहीं कहे जाने चाहिए क्यों कि कुछ प्रमुख विचारकों जैसे एस0एन0 त्रिपाठी, बी0एस0 सतीश रेड्डी तथा एम0 रमन्ना ने केवल अति गरीब महिलाओं के सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्ता को सामने रखा है। बल्कि मलिन बस्तियों में शैक्षिक स्तरों को सुधारों की अवधारणा को जोड़ दिया है। किन्तु फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि बहुमत की सर्वोच्चता को प्राथमिकता न दें अति गरीबों के सम्बन्ध में योजना निर्माण करते हुए रूसोवादी सामान्य इच्छा के सिद्धान्त पर जोर दिया जाए तथा ''ऑस्कर लेविस'' की गरीब संस्कृति की अवधारणा को संरक्षित किया जाए जिससे इस अति गरीब वर्ग को ष्कमदजपजल क्पेतमहंतकष की चुनौतियों से निपटने में सहायता मिले यद्यपि दुर्खीमवादी श्रम

विभाजन का सिद्धान्त लैंगिक आधार पर स्वीकार किया जाता है। किन्तु महिला तथा पुरूषों की वैतनिक स्थिति सामान्य होनी अपेक्षित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. च्संदहनद ॅण्ळण् न्तइंद ैवबपवसवहल म्उंहमे ंदक ेजतंबजनतम.1999 म्समद ंदक ठांमदण् . ठवेजवद ैमदेए 2001ए जीम ळसवइंस ब्पजल च्तपदेजवद न्दपअमतेपजल च्तमे छमू ल्वनताण्
2. ॅमसस उंद ठण् स्पदहवजद ठण्. छमजूवतो छपहीइवनत भ्ववके ंदक ब्वनउदनजपमे ।चतवबीमे ज्व जीम ैजनकल वि ब्वउदनजपमेए फनमेजपवद पद न्तइंद ।पित फनंतजमतंसल टवसण् 14ए 3 डंत 1979ए च्णहण्.363
3. स्मउइंतक त्ण्क्ण्. जीम प्उचंबज वि न्तइंद ैवबपमजल न्चवद टपससंहम स्पमिए म्कपजमक इल ंतमण् ज्मतदनदए प्दकपें न्तइंद थ्नजनतमए न्दपअमतेपजल वि ब्संपवितदपं न्दपअमतेपजल च्तमेए ठंतांसप 1962ण्
4. ।सनअंसपलं प्ण्श्रण् 1991ए च्तवकनबजपअपजल ंदक ळतवूजी पद प्दकपंद डंदनबिजनतपदहए व्गावितक न्दपअमतेपजल च्तमे छमू क्मसीपण्
5. डंसीवजतं ैवदपलं ंतम.1998ए जीम च्व्रसम वि श्रवइसमे ळतवूजी पद प्दकपंद डंदनबिजनतपदहए व्गावितक ठनसपजमद वि म्बवदवउपब ंदक ेजंजपबे टवसण् 16 ।ककपजपवद 1ए च्णहण् छव.532ण्
6. ज्ञनदकन ।उपजंइी 1997 ज्तमदज ंदक ैजंबजनतम प्उचसवलउमदज पद 5.1990ए प्उचसपबंजपवदे वित न्तइंद ळतवूजी म्च्ॅण् 14 श्रनदमण्
7. ठींजज प्सं 2006ए टण्त्ण् च्वत ठनज ेव उंदलए क्मसीप व्गावितक न्दपअमतेपजल च्तमेण्
8. क्ंअसींतंक 1995 न्दचतवंबजमक स्ंइवनत पद प्दकपंए थ्तंकतपु ंदक ैजपजिनदहण्
9. क्ंजजंतनकतंए 1996ए व्तहदप्रपदह जीम न्दवतहदप्रमक ूवतामते क्मसीप टपौी च्नइसपीपदह ीवनेमण्
10. ठींससंए ैपसं 1983 ळतवूजी म्उचसवलउमदज ंदक ॅहमे पद प्दकपंद ।हतपबनसजनतमए डवउपव छमू क्मसीपण्
11. ळनचजं क्पचंदांत. 2003ए ब्नसजनतंस च्मतेमचजपवद उवकनसम प्दकपंए ।हतपबनसजनतंस पद ंदक क्मअमसवचउमदज म्बवदवउपब क्मअपेपवदरू थ्ववक ंदक ।हतपबनसजनतंस व्तहंदप्रंजपवद वि जीम न्दपजमक छंजपवदण्
12. ज्ञनदकन ।उपजंइी ंदक क्तींदप डींकमअपलं 2002ए च्वअमतजल ंदक टनसदमतंइसपजल पद ं ळसवइसप्रपदह डमजतवचनसपबम ; ीउकंइंकद्ध छमू क्मसीपए डंदां च्नइसपबंजपवदे च्तपअंजम स्जकण्
13. ।जंस ल्वहमी 2002 जीम च्वअमतजल फनमेजपवदे ैनतबी वित ैवसनजपवदए छमू क्मसीप त्ंउ च्नइसपबंजपवदण्
14. क्मेंप ।ण्त्ण् ंदक ैण्क्ण् च्पससंप.1990 ैसनउे ंदक व्तहंदप्रंजपवदए ठवउइंल च्वचनसंद च्नइसपबंजपवदण्
15. क्मेंप ।ण्त्ण् ंदक ैण्क्ण् च्पससंप.1972 । च्तवपिसम वि प्दकपंद ैसनउए न्दपअमतेपजल वि ठवउइंलण्

16. टमतउंए ळममजंए क्पअंद.2002ॅसनउपदह प्दकपंए । ब्तवदपबंस वि ॅसनउ ंदक जीमपत ॅपअपवनत छमू क्मसीपए च्मदहूपदह ठववो श्रंल च्ंसंदए छण् 2002 न्तइंदॅवबपवसवहल ।जसंदजपब च्नइसपबंजपवदे छमू क्मसीपण

17. त्व छण्ैण ।ण्ए न्तइंदॅवबपवसवहल पद प्दकपं 1974 व्तपमदज स्वदह उंद छमू क्मसीपण

18. ॅनअमतअंस ॅण्1978 च्तवबमे ंदक प्देजपजनजपवदे पद न्तइंद प्दकपंए ॅवबपवसवहल स्वहपबंस ॅजनकलए टपौी च्नइसपीपदह भ्वनेम छमू क्मसीपण

19. ठवेए ीपी 1973ॅजनकपमे पद प्दकपंश्े न्तइंदप्रंजपवद.1917 ज्ंजं डंहतं भ्पसस छमू क्मसीपण